1	2
made in the list before commencing the relevant voyage.	to one thousand rupees for every day. during which the offence continues after conviction

5. In section 458 df the principal Act, in sub-section (2), after clause *(a),* the following clause shall be inserted, namely:—

"(aa) in the case of a rule made under section 76, with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both."

The question was put and the motion was adopted.

New Clause 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

THE LEADERS AND CHIEF WHIPS OF RECOGNISED PARTIES AND GROUPS IN PARLIAMENT (FACILITES) BILL, 1998

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेताओं और मुख्य सचेतकों के लिए सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया हैं, विचार किया जाए"।

उपसभापति महोदय, लोक सभा से पारित होने के बाद इस विधेयक को मैं राज्य सभा में पेश कर रहा हूं।

इस विधेयक में संसद के दोनों सदनों में मान्यता प्राप्त दलों और राजनीतिक समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को अतिरिक्त सेकरेटेरिएल और टेलिफोंस सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया हैं। ये सुविधाएं इस समय उनको सांसद के रूप में संबंधित कानून के तहत मिल रही सुविधाओं के अलावा होंगी। राजनीतिक दलों के नेताओं और मुख्य-सचेतकों को दी जाने वाली इन सुविधाओं को नए नियम के तहत बाद में अधिसूचित किया जाएगा। ये सुविधाएं इस प्रकार होगी।

(ए) स्टेनोराफर, जो ग्रेड-॥ निजी सचिव के स्तर का होगा,

(बी) कार्यालय और निवास के टेलिफोनों में कुल मिलाकर प्रति वर्ष मुफ्त दस हजार स्थानीय काल्स की सुविधा। ये कॉल्स इन्हे संसद सदस्य के रूप में उपलब्ध नि:शुल्क कॉल्स के अलावा होंगे।

उपरोक्त दोनों सुविधाएं राजनीतिक दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों को तब तक मिलती रहेंगी जब तक वे अपने पदों पर रहेंगे। सदन इस बात से सहमत होगा कि संसदीय व्यवस्था का सुचारू संचालन बहुत हद तक पार्टी मशीनरी की दक्षता पर निर्भर करता है। राजनीतिक दलों के नेता और मुख्य सचेतक संसद के दोनों सदनो की कार्यवाही में अपने दलों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए की 1994 में बंगलौर में आयोजित 11वें अखिल भारतीय संसद और राज्य विधान मंडलों में मान्यता प्राप्त विपक्षी दलों के मुख्य-सचेतकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिस से वे अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वाह कर सकें। वास्तव में देखा जाए तो यह सिफारिश अभी तक कई अखिल भारतीय मुख्य सचेतक सम्मेलनों द्वारा की जा चुकी है। परन्तु इन पर कार्यवाही पेडिंग रही। मैडम, मुझे याद हैं, जब मैं दिल्ली महानगर परिषद में मुख्य सचेतक था, मुझे सचेतक सम्मेलनों में भाग लेने का मौका मिला, वहां सचेतकों को इस तरह की सुविधाएं देने की मांग की गई थी और बाद में सम्मेलनों में भी इसी तरह की मांग उठाई जाती रही है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से संतोष की बात हैं कि हम 31 वर्षो के अधिक समय विचाराधीन इन सिफारिशों को इस विधेयक के माध्यम से लागू कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में इस सदन के सम्मुख यह विधेयक लाते हुए मुझे खुशी हो रही हैं। मुझे उम्मीद हैं कि राज्य सरकारें भी हमारे इस कदम का अनुसरण करते हुए अपने विधान-मंडलो में भी इसी तरह का विधेयक लाएंगी ताकि राजनीतिक मुख्य सचेतकों और नेताओं को अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में संसद के अनुरूप ही सहायता मिल सके।

उपसभापति महोदया, हमारा यह प्रयास पर्याप्त न हो, लेकिन हमने एक सही दिशा में पहल की हैं। यह एक छोटा, साधारण और गैर-विवादास्पद विधेयक है, मुझे विश्वास हैं कि सदन के सभी वर्गो का इसे समर्थन मिलेगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं यह विधेयक सदन के सामने रखता हूं।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, I have one submission. The Government is giving these facilities to Members and ex-Members of Parliament. Two days back, the Allahabad High Court has struck down giving railway passes for ex-Members of Parliament. I want the hon. Minister to move a comprehensive legislation and remove those executive orders. We are not opposing this Bill. Why are you only having executive orders and sending everybody to courts and making a mockery of Members of Parliament and ex. Members of Parliament.

श्री एच. हनुमनतप्पा (कर्नाटक) : मैडम, खुराना जी को याद होगा, लास्ट सेशन में उन्होने स्पाऊसेस के पास के बारे में कहा था कि अगले सत्र में बिल लाकर मै जरूर इसे पास कराऊंगा। यह उनका वादा था। अब सिर्फ कल और परसों, दो दिन हाऊस बैठ रहा हैं, मैं खुराना जी को उनका वादा याद दिलाता हूं कि इस सेसन में बिल लाने का हैं, उसे लाकर कल, परसों में पास कराएं। ....(**व्यवधान**).... पिछली बार लास्ट डे हमने मैम्बर्स सेलरीज एलाउन्सेज बिल पास किया था, उसमें कुछ थोड़ा करेक्शन होना था। वह लोकसभा में नहीं जा सकता था, उस दिन वैसे ही पास किया। उसमें उसकी अमेंडमेंट को अगले सत्र में पास कराने का आपने वादा किया था। तो उसे हाऊस में लाकर, कल, परसों में पास करा दें।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): I am supporting it ...*(interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Once you had opposed the Ordinance and now you are supporting the Ordinance. What is this ...*(interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am supporting ...*(interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is joking for the first time and you do not want to accept that also?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, even his joking ...*(interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I only want to know from the hon. Minister as to what is the financial implication of the benefit that is going to be given to the parties and groups?

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, पिछले सेसन में एक और वादा भी किया गया था, जो मैम्बर्स को फैसिलिटी दी हैं कि रेल यात्रा में वह अपने साथ अपने स्पाउस के लिए भी ए.सी. फर्स्ट क्लास की सुविधा अवेल कर सकते हैं तो हम जैसी जो सिंगल लेड़ी हैं, वह भी अपने कंपेनियन के साथ ए.सी. फर्स्ट क्लास में जा सकें तो अच्छा रहेगा और इसके लिए हमको भी इस तरह की सुविधा दी जाएगी, यह वादा किया गया था। उस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती थी।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : मैडम, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो बाकी सदस्यों ने कहा हैं आपको याद होगा, मैडम, कि आपके कमरे मे और इस हाऊस में, दोनों जगह यह शोर किया गया था कि रेलवे पासेंस में स्पाउसेस को, पति या पत्नी को, ए.सी. फर्स्ट क्लास में साथ जाने का हो और एक दो चीज और कही गई थी। मेरी राय में आर्डिनेन्स नहीं लाना चाहिए मैम्बर की किसी फैसिलिटी का मामला आर्डिनेन्स से हो, यह अच्छी बात नहीं हैं। अभी दो दिन बाकी है। अगर मंत्री महोदय इसको लाना चाहे तो इन दो दिनों में यह काम हो सकता है। ....(**व्यवधान**)....

मैडम, दूसरी बात, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हैं कि दस हजार टेलीफोन कॉल्स होंगे या सेक्रेटरिएट सर्विस क्या होगी क्योंकि दस हजार टेलीफोन कॉल्स होगे या सेक्रेटरिएट सर्विस क्या होगी क्योंकि दस हजार टेलीफोन कॉल्स काफी हैं या नहीं हैं इसके बारे में जब सारी पार्टियों के चीफ व्हिप मिले थे मंत्री महोदय से तो उस समय यह बात आई थी कि बाहर री कॉल्स करना पड़ेगे, एसटीडी करनी पड़ेंगी, दूसरी जगह करना पड़ेगी, आपने सभी मैम्बरों को कांटेक्ट करना पड़ेगा तो दस हजार कॉल्स बहुत कम हैं और उन्होने कहा था कि यह कॉल्स का कोई तय नहीं हैं। इसमें हैं भी नहीं रूल बिल में, कोई ऐसी चीज नहीं है और यह कहा कि रूल्स बनाएंगे।

यह जो इन्होने अभी पढ़ा हैं कि 10,000 कॉल्स देंगे या एक चपरासी देंगे, जो भी करना है रूल्स के मुताबिक करें। यदि आवश्यक हो तो सभी पार्टियों के चीफ व्हिप्स के साथ बैठकर और सभी पार्टियों के लीर्डस के साथ बैठकर तय कर लें तो अच्छा होगा। ऐक्ट में वह नहीं है। जो अभी इन्होने यहां पढ़ा हैं, कहीं वह अंतिम रूल न बन जाए, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : महोदया, मैं केवल एक ही स्पष्टीकरण चाहती हूं मंत्री जी से, मुझे इसमें कोई विरोध नहीं करना हैं। उन्होने पृष्ठ 2 मं एक्सप्लेनेशन 3 में कहा हैं कि –

> "The expression "recognised party" and "recognised group" shall have the meanings assigned to them in the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998."

तो इनकी संख्या का आधार क्या होगा? क्या जितनी पार्टियां हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन से मान्यता प्राप्त हैं, जिनका यहां रिप्रैजेंटेशन हैं दोनों सदनों में, उनके लीडर्स के लिए होगा या कोई एक पार्टिकुलर नंबर भी होगा, इसके बारे में भी मंत्री महोदय कुछ बता देते तो अच्छा रहता।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, even if this Bill is passed, what is the guarantee that it would not be struck down by the judiciary?

THE DEPUTY CHAIRMAN: A legislation passed by Parliament is a legislation passed by Parliament.

SHRI R. MARGABANDU: Now, the question is: Who is supreme, Parliament or the judiciary? So far as facilities for Members and ex-Members are concerned, Parliament is supreme. The Parliament passes rules. But, at the instance of some person*, the High Court struck it down and passed an order saying that all ex-MPs are not entitled to these facilities. So, it makes Members of Parliament, who served for public cause, are made ridiculous. Likewise, the High Court of Kerala passed an order saying that these facilities should not be given to Members. So, some measures are to be taken by the Parliament to see that the facilities given to the Members of Parliament are not interfered with by the judiciary.

Secondly, all the recognised political parties in the Parliament should be treated on a par, without fixing any number.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You asked a question—what is the legitimacy of this Bill? The legitimacy of this Bill is same as that of the next Bill, which we are going to pass, that is, the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 1998. *(Interruptions)* Please do not interrupt. Do not interrupt while I am speaking. Its legitimacy would be same. The Parliament is established to pass legislations. What has been struck down, as I understand, was an executive order. I do not think anybody else, except Parliament, can decide what its Members should get. The Minister of Parliamentary Affairs should not do such service or largesse by just passing an executive order. Whatever you want to give to Members or ex-Members, you must bring it in the form of a legislation because I, as a Member of Parliament, feel that my image is distorted if somebody sits somewhere and files a case against me or any other Member, and it is struck down by a court saying that it is wrong. The responsibility of passing a legislation rests with the Parliament. So, this Bill will have the same legitimacy as that of the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 1998.

... (interruptions)...

भंडारी जी, आपकी क्या समस्या हैं?

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : महोदया, यह समस्या केवल मेरी समस्या नहीं है, सभी की समस्या हैं। ऐसा है कि अभी फर्स्ट क्लास ए.सी. में स्पाऊज को साथ ले जाने की बात हो रही थी। महोदया, हवाई यात्रा में भी कंपेनियन ले जाने का प्रावधान है। कभी-कभी ऐसा होता हैं परिवार के लोग सामूहिक रूप से 3, 4 या 5 की संख्या में जाते है तो ऐसा हैं कि कंपेनियन का तो हवाई यात्रा मिल जाता हैं लेकिन बाकी का हमें पैसा देना पड़ता हैं। हमारी जो हवाई यात्रा फिक्सड हैं 32, क्या

उसमें इसको ऐंडजस्ट नहीं किया जा सकता हैं? अगर हमारा ब्लड रिलेशन – बेटा, बेटी, मां इस तरह के लोग जाते हैं 4-5 की संख्या दी जाती हैं उस कोटा से हम क्यों नहीं खर्च कर सकते?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think that is being allowed, *(interruptions)* That should be allowed. Now, I will ask...*(interruptions)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कर रहे हैं इसको।

उपसभापति : खुराना जी, लास्ट सेशन में बहुत सी बातें मेंबर्स ने उठाई थी जो फेसिलिटी देने के बारे में था, उस समय पर चूंकि लोक सभा में समय नहीं था, तो आपसे प्रोमिस किया था कि हम इस सेशन में ले आएंगे। वह बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, गल्ती से शायद रह गई थी, जिसके अंदर किसी मेंबर आफ पार्लियामेंट की 20 जर्नि हैं अगर वह एक ही साथ यूज करना चाहते है तो कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह समस्या होती है। दूसरे, जो वह पास का हैं, आपने कहा था कि फर्स्ट-क्लास में स्पाउज को ले जाएंगे या स्पाइज को ले जाएंगे, तो वह मैटर भी आप क्लीयर कर दीजिए, वह भी कर दीजिए और इस बिल को तो हम वोइस वोट से पास कर देंगे, दोनों कर देंगे—जज का भी कर देंगे।

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान) : मल्होत्रा जी की तरफ से वह मामला गया हुआ हैं, उसको दो साल रिज्यूज करने का था। पहले उन्होने महीने अलग-अलग करके किया हुआ था। उसको टोटल करने के नाते कि दो साल अगर टेन्योर हो गया हैं। वह विषय भी मल्होत्रा जी की जो कमेटी बनी हुई थी उसमें उनकी सिफारिश थी।

उपसभापति : बोलिए खुराना जी।

श्रीमती कमला सिन्हा : मैडम, एक मिनट। वीणा जी ने जिस सवाल को उठाया था उसका क्या निदान हुआ?

उपसभापति : वह मैंने बोला स्पाउज या स्पाइस।

श्री मदन लाल खुराना : उपसभापति महोदय, यह जो अभी तक सवाल उठाया हैं कि रेलवे में एक्स एम.पी. की सुविधा को रद्द कर दिया हैं। आपने उत्तर दे दिया लेकिन मैं यह जो मैबर्स का जिस पर मैं अभी आऊंगा, इसलिए देरी हो गई क्योंकि हम उसको उस बिल के अंदर भी इंक्लूड करना चाहते थे। रेलवे से बातें हो गई हैं, अभी मुझे पता चला हैं कि रेलवे ने कलीयर कर दिया हैं, फाइनेंस ने क्लीयर कर दिया हैं और लॉ ने क्लीयर कर दिया हैं और आज शाम तक हम बिल बना करके केबिनेट में ले जाकर के कल तक उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। बिल आज शाम तक पूरा हो जाएगा जिसमें एक्स एम.पी. का रेलवे वाला मामला भी उसमें डाल दिया है ताकि बार-बार नहीं करना पड़े इसलिए दो-तीन दिन की देरी हो गई, वरना अगर केवल पति-पत्नी वाला मामला होता तो हम तीन दिन बाद वह बिल ले आते हैं और पास हो गया होता। दो-तीन दिन की जो देरी हुई हैं ....(**व्यवधान**).... "वो" के बारे में मै कह सकता। मैं तो केवल अधिकार वाणी से पति-पत्नी कह सकता हुं, "वो" तो मेंबर के ऊपर छोड़ रहा हूं। ....(**व्यवधान**)....

उपसभापति : ऐसा हैं खुराना जी, किसी के कोई पति नहीं होता, किसी के कोई पत्नी नहीं होती, तो "वो" तो होती हैं न।

श्री मदन लाल खुराना :"वो" को तो मैंने मेंबर पर छोड दिया हैं। मेरा यह कहना हैं कि जो देर हुई हैं दो-तीन दिन की इसीलिए ही हुई, वरना यह जो सुझाव वीणा जी ने दिया था पति-पत्नी वाले मामले पर मैंने केबिनेट से बातें कर ली थी, उन्होने हां करली थी और आज शाम तक जो मुझे मालूम पड़ा हैं मैं प्रधानमंत्री जी से बात करके कोशिश करूंगा कि यह इसी सेशन में ही ट्रेन जर्नी वाला मामला हो जाए ....(**व्यवधान**)....

श्री नरेश यादव (बिहार) : मैडम, "वो" वाला मामला क्लीयर हो जाए। ....(**व्यवधान**)....

उपसभापति : अंग्रेजी में बोलिए तो कम्पेनियन हैं वह।

श्री मदल लाल खुराना : एक्स एम.पी. का रेल जर्नि का जो मामला था जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया इसलिए हम इसका बिल ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं इसलिए कोई हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसको रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून में ही बन जाएगा।

प्रो. रामबख्त सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मैडम्।

उपसभापति : कानून में बनना चाहिए। आपकी क्या समस्या है। ....(**व्यवधान**).... पहले खुराना जी पूरा करलें,उसके बाद बोल दीजिएगा।

श्री मदन लाल खुराना : कुछ सवाल पूछा गया पार्टी के बारे में। हमने कहा हैं कि पार्टी और ग्रुप Party means 1/10 of the strength of this

House. It means in Lok Sabha इसका मतलब, लोक सभा में जिसके 55 मैम्बर होंगे वह पार्टी कहलाएगी—जिसके 55 या 55 से ज्यादा मैम्बर होंगे और राज्य सभा में 25 फिर हैं-ग्रुप का मतलब लोक सभा में 30 और राज्य सभा में 15 लेकिन मैने कहा कि जो सिफारिशें हमारे पास आयीं- विह्प्स कान्फ्रेस की ....(**व्यवधान**).... उसकी सिफारिशों के आधार पर ही यह बिल ....(**व्यवधान**)....

SHRI R. MARGABANDU: Why the discrimination between the Lok Sabha and Rajya Sabha?

श्री नरेश यादव : जिनको चुनाव आयोग ने मान्यता दी हैं, उनको तो आप पार्टी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ....(**व्यवधान**).... यह तो कोई मतलब नहीं बनता है। देश में रीजनल पार्टीज का जमाना आ गया हैं, छोटी-छोटी पार्टियां आ रही है। अब इसमें यह 15 और 30 यह सब क्या है?

उपसभापति : एक मिनट रूकिए। आप बात तो करने नहीं देते, एक दम खफा हो जाते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैने निवेदन किया कि विह्प्स का कांन्फ्रैसिंस के अंदर जो सिफारिशें हुई हैं, उसके आधार पर ही यह बिल बना है। आपके जो सैटीमेंट्स है, जिस वक्त रूल्स बनेंगे-विजय जी ने कहा हैं कि 10 हजार नहीं, और ज्यादा होना चाहिए-जब हम रूल बनाएंगे तो इन सुविधाओं को हम उस समय ध्यान में रखेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री जयन्त राय (पश्चिमी बंगाल) : आप कम से कम एश्योर तो करिए ....(**व्यवधान**)....

श्री रामदेव भंडारी : जो इलैक्शन कमीशन से रिकग्राइज्ड पार्टीज हैं, उनको जरूर मिलना चाहिए।....(**व्यवधान**)....

श्री मदन लाल खुराना : आपने पूछा कितना? ....(**व्यवधान**).... इस समय तह जो यह बिल हैं, जो हमने सोच लिया हैं, उसके अनुसार केवल 13 लाख 8 हजार एनुअल। तो सवाल पैसे का नहीं हैं सवाल यह हैं जो मैंने आपसे निवेदन किया। 1967 में मैं जब गवर्नमेंट का चीफ विह्प था, विजय कुमार जी दिल्ली के चीफ विह्प थे तो शिमला में मैं कांफ्रेंस अटैंड करने के लिए गया था और एस.एम. बैनर्जी जी तथा मैं एक ही कमरे में रूके हुए थे। तब की, 1967 की सिफारिशें हैं, आज मुझे संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते 1967 की सिफारिशों को लागू करने का मौका मिल रहा हैं। यह हमारी शुरूआत हैं, एक हम्बल स्टार्ट हैं, उसके बाद अगर कोई कमी रह जाएगी तो हम जब बैठेंगे और इसके रूल्स बनाएंगे तो इसको देख लेंगे। इसको सर्व सम्मति से पास किया जाए।

श्री नरेश यादव : मैडम, अभी यह जो बनाया जा रहा हैं सिके संबंध में हमारा कहना हैं कि देश छोटी-छोटी पार्टीज, रीजनल पार्टीज आ रही हैं जिनको पार्टी की मान्यता प्राप्त है, चुनाव आयोग ने मान्यता दी हैं, आप उनको भी सुविधा दीजिए। आप पैसे मत बढ़ाइए लेकिन एक पार्टी के लिए जो आपने टेलीप्रिंटर की व्यवस्था की है और टेलीफोन काल की सुविधा बढ़ायी हैं, वह तो कायम रखिए लेकिन यह जो आप कर रहे है, इसमें आप रीजनल पार्टी की उपेक्षा कर रहे हैं ....(**व्यवधान**)....

श्री रामदेव भंडारी : रीजनल पार्टीज से उनकी सरकार चल रही हैं ....(**व्यवधान**)....

एक माननीय सदस्य : पार्टी बढ़ेगी ....(**व्यवधान**)....

श्री नरेष यादव : पार्टी बढ़ेगी या घटेगी ....(**व्यवधान**).... हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है न। ....(**व्यवधान**)....

SHRI R. MARGABANDU: Madam, I also would like to move an amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI R. MARGABANDU: These facilities should be extended to all the political parties representing in the Lok Sabha as well as Rajya Sabha.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Even if there arc two Members in the House, and one becomes the leader and the other the whip?

SHRI R. MARGABANDU: For all political parties it should be extended. That is my amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is for the Government to decide. Even in Rajya Sabha, Members know how we give recognition to political parties. We also have some parameters of giving recognition to political parties. But, still, the Minister has said that when they would frame the rules he would take everybody's vie-

wpoint and that he would consider and think about it.

PROF. RAM BAKSH SINGH VAR-MA (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, one minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We [have decided not to discuss it. Now everybody is discussing it. It is again disorder. If you want, we will have a discussion. Let it be in order. ...*(Interruptions)*...

I have asked one Member. One minute.

प्रो. राम बक्श सिंह वर्मा : मैडम, आपने मुझे आज्ञा दी थी। मैं केवल एक मिनट के लिए एकक्लैरिफिकेशन चाहता था। जहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी बहुत से आश्वासन दिये है। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय और लोक सभा के माननीय स्पीकर, दोनों की सहमति से हुआ था कि इस वर्ष के लिए प्रत्येक सांसद के सुझाव पर दो करोड़ रूपये अपने कॉन्सटीट्यूऐसी में खर्च करने के लिए सरकार की ....(**व्यवधान**)....

उपसभापति : इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हैं।

We are not bringing in anything which is beyond the purview of this Bill आप दो करोड़ या चार करोड़ मांगिए, पर इस पर नहीं बोलिए।

प्रो. राम बक्श सिंह वर्मा : लेकिन क्या स्थिति हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not at this point of time. It is out of order. बाद में पूछ लीजिए, बिल हो जाए।

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Madam, I wanted to know one point. There are some States which have only two MPs. If there is a regional party representing that State, there should be some provision. It may not be the whole thing given to a bigger party. There should be some provision. They should also be given something. That should be considered. That is my view.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for facilities to Leaders and Chief Whips of recognised parties and groups in Parliament, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री मदन लाल खुराना : मैडम, मैं मोशन रखता हूं "इस बिल को पारित किया जाए"।

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we move on to the next item—The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 1998. Shri M. Thambi Durai.

THE HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 1998.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): Madam, I move:

That Bill, further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

As you are aware. when an Officer of the State Judicial Service is appointed as a Judge of a High Court, his leave account is regulated under the provisions of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954. Accordingly, a Judge is entitled to carry forward only the leave earned to the extent of two hundred and forty days. He is, however, not entitled to carry-forward the half pay leave in his leave account in